

न्यायालय अति० जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

प्रार्थना पत्र संख्या
16/78/2023

प्रवेश तिथि
03-02-2023

निर्णय दिनांक
20-03-2023

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत
निर्णय विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी राजगढ़, जिला अलवर निर्णय दिनांक 02.03.2022

उपस्थित:-

01- श्री दीपक मीना


-राजकीय अभिभाषक

-:निर्णय:-

प्रभारी अधिकारी जांच कमेटी अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के पत्रांक राजस्व/2023/जांच/3495 दिनांक 03.02.2023 के द्वारा जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के अनुसरण में सुओमोटो प्रकरण का संज्ञान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14 (4) के तहत लिया गया। आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1205 दिनांक 02.03.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर ने आराजी खसरा नं. 94 रकबा 0.35 है० किस्म बारानी सोयम में से 0.25 है०, खसरा नं० 106 रकबा 0.12 है० किस्म बारानी सोयम संपूर्ण, खसरा नं० 108 रकबा 0.22 है० किस्म बारानी सोयम संपूर्ण, खसरा नं० 109/2219 रकबा 0.50 है० किस्म बारानी सोयम संपूर्ण वाके ग्राम टहला, तहसील टहला, जिला अलवर भूमि का आवंटन भोली देवी पत्नी देवकरण, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टहला, तहसील टहला, जिला अलवर को आवंटन किया गया है, के विरुद्ध प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

आवंटी/अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के बाद कोई उज्र व साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु 10 दिवस का समय दिया गया। आवंटी/अप्रार्थी द्वारा दिनांक 13.02.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब में कथन किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने सुओमोटो प्रकरण अन्तर्गत नियम 14 (4) में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया है कि उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22 /1205 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा नियम विरुद्ध प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत राजगढ़ उपखण्ड के तहसील क्षेत्र राजगढ़/टहला में किये गये भूमि आवंटन के प्रकरणों की जांच किये



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

जाने हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, अलवर के आदेश क्रमांक 40
12-3/राजस्व/2022/8962-63 दिनांक 01.11.2022 के द्वारा उपखण्ड क्षेत्र राजगढ़/टहला के
प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970
के तहत आवंटन/नियमन में अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु जिला स्तरीय जांच दल
का गठन किया गया। प्रदत्त निर्देशों की पालना में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला
कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने विस्तृत जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में आवंटन अनियमितता होने
के कारण निरस्त किये जाने की अभिशंका की है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर
हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। प्रकरण में आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई
है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) स्वीकार फरमाया जाकर अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार
समिति एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी विवादित आवंटन आदेश दिनांक
02.03.2022 को निरस्त फरमावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं
राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया, तथा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर प्रकरण
का अद्योपान्त अवलोकन किया। मुताबिक जांच रिपोर्ट आवंटित भूमि में आवंटी की पात्रता के
निर्धारण हेतु नियत मापदंडों की पालना नहीं की गई है। आवेदन पत्र पंजीकरण पंजिका
(प्रारूप-4) में संधारित है या नहीं, से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उद्घोषणा जारी होने
के पश्चात तामील/चस्पानगी के संबंध में तहसीलदार की पालना रिपोर्ट संलग्न नहीं है। आवंटन
सलाहकार समिति की बैठक सूचना की तामील कब हुई, इस संबंध में पत्रावली में तारीख का
अंकन नहीं है, ना ही तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट अंकित है। पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट
संलग्न नहीं है, एवं वन विभाग, खनिज विभाग की अनापत्ति भी संलग्न नहीं है, साथ ही आवंटन
सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक का अंकन नहीं किया गया है, और बैठक कार्यवाही
विवरण पर हस्ताक्षर भी नहीं है। रिपोर्ट पटवारी में भूमिहीन का कॉलम रिक्त है। आवंटी विवाहित
एवं एकल आवेदन किया है, आंशिक रकबे का आवंटन हुआ है। नजरी नक्शा संलग्न नहीं है।
प्रकरण में प्रभारी जांच कमेटी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने अपनी जांच
रिपोर्ट में आवंटन आदेश शिविरों/फोलोअप कैम्पों में नहीं किया जाना बतलाया गया है,
पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक हेतु नोटिस देते हुए एक सप्ताह
का नोटिस जारी किया गया हो व नोटिस की विधिवत तामील हुई हो, इस बाबत कोई प्रमाण
उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा आवंटन करते समय आवंटन की शर्तों की
पालना नहीं कर आराजी का आवंटन किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी क्रिटिकल टाइगर



2-4
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजग)

हैवीटाट वन क्षेत्रों की सीमा से लगती हुई है। प्रशासनिक जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय ने अवगत कराया है, कि उक्त आवंटन के संबंध में आंतरिक लेखा जांच दल (आय) द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के राजस्व लेखों की निरीक्षण अवधि 05/2022 अनुच्छेद संख्या 6 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किये जाने पर राजस्व हानि एवं अनियमितताओं का आक्षेप अंकित किया गया है, तथा आवंटन नियमों की शर्तों की पूर्ण पालना ना होने के कारण आवंटन खारिज किये जाने हेतु अभिशंषा की गई है। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1205 दिनांक 02.03.2022 आवंटन नियम 1970 में आवंटन हेतु निर्धारित, प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के विपरीत जारी किये गये हैं, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। उक्त आराजी आवंटन किये जाने योग्य नहीं है। अतः सुओमोटो प्रार्थना पत्र नियम 14 (4) स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 नियम 14(4) के तहत प्रकरण स्वीकार कर तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के द्वारा जारी आदेश क्रमांक एल.आर./आवंटन/2021-22/1205 दिनांक 02.03.2022 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत रिकॉर्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकगील दाखिल दपत्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में

सुनाया गया।

(जुलाम सिंह सेखराव (प्रथम))
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

